UPBB010050042025

न्यायालय – विशेष न्यायाधीश, (ई०सी०एक्ट), बाराबंकी।

सत्र वाद संख्या–1270/2025

सरकार बनाम मनोज कुमार वर्मा

मुकदमा अपराध संख्या–319/2022
धारा–135–1(c) विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003
थाना–एंटी पावर थेफ्ट, जिला बाराबंकी।

दिनांक–01.06.2026

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियोजन पक्ष एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा की ओर से उसके विरूद्ध विचाराधीन उक्त वाद को शमन करते हुए निस्तारण करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त बकाया व शमन शुल्क जमा करते हुए विद्युत विभाग से अदेयता पत्र/एनओसी प्राप्त कर लिया गया है। अतः न्यायहित में उक्त वाद को धारा 152 भा०विद्युत अधि० के प्रावधानों के अंतर्गत शमन करते हुए निस्तारित करने की कृपा की जाए।

विशेष लोक अभियोजन द्वारा भी प्रार्थना पत्र पर यह अंकन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रकरण से संबंधित बकाया जमा कर दिया गया है तथा प्रकरण से संबंधित कोई देयता शेष नहीं है। अपराध शमनीय प्रकृति का है, निस्स्तारित करने की कृपा करें।

मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर अभियुक्त द्वारा प्रकरण से संबंधित बकाया व शमन शुल्क का भुगतान करते हुए एन०ओ०सी० प्रस्तुत की गई है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर यह निष्कर्षित होता है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग में अपना विद्युत बकाया बिल, राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा किया जा चुका है, इस आशय का विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रपत्र भी बचाव पक्ष द्वारा दाखिल किया गया है। अपराध शमनीय (compoundeble) है।

अतः वाद अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के विरूद्ध इस अधिनियम की धारा 152 के अनुक्रम में शमन (compound) किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 135–1(c) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 शमित (compound) किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(असद अहमद हाशमी)
दिनांक: 01.06.2026 विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
बाराबंकी।
J.O. Code UP 6327

Digitally signed by ASAD A HASHMI
Date: 2026.06.01 14:17:17 IST
Reason: Order
Location: Spl Judge (E.C. Act)
Barabanki.